इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]　　भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 जनवरी 2013—पौष 15, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2013

क्र. एफ-ए-3-47/2012-1-पांच, (01).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, उसके (सारणी के) कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनु-क्रमांक (1)	व्यापारियों का वर्ग (2)	कालावधि (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (4)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012 के उपबंधों के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के भीतर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाई स्थापित करता है.	कच्चे माल के प्रथम क्रय की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए.	(1) व्यापारी को प्रवेश कर के संदाय से छूट तभी उपलब्ध होगी, जब उसके द्वारा प्रवेशकर अधिनियम से संलग्न अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट किए गए किसी माल का उनकी औद्योगिक इकाई में माल के विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग के लिये या आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग या विनिर्मित माल की पैकिंग में उपयोग हेतु किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाय. (2) उपरोक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में

(1)	(2)	(3)	(4)
			प्रवेश कराया गया माल, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन जारी उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कच्चे माल या आनुषंगिक माल या संवेष्ठन सामग्री के रूप में विनिर्दिष्ट होना चाहिये.

2. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु,—

(एक) ''रजिस्ट्रीकृत व्यापारी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी.

(दो) ''आनुषंगिक माल'' से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये कच्चे माल तथा संवेष्ठन सामग्री से भिन्न माल जो माल के विनिर्माण में उपयोग किये जाने के लिये है.

3. ऐसी विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाई जो कि अपनी क्षमता का विस्तार/आधुनिकीकरण करती है, अपने वृद्धिगत (इंक्रीमेन्टल) उत्पादन पर उपरोक्त सुविधा उसी प्रकार प्राप्त करेगी जिस प्रकार वह ''नई इकाई'' को प्राप्त होती बशर्ते कि उसे किसी पदाभिहित एजेंसी द्वारा प्रणामीकरण किया जाए. केवल वह इकाई इस प्रोत्साहन के अन्तर्गत पात्र मानी जाएगी, जो विस्तार हेतु अपने विद्यमान पूंजीगत निवेश की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि, रुपये 25 लाख की न्यूनतम राशि के अध्यधीन, अतिरिक्त निवेश करेगी.

4. इस अधिसूचना के अधीन छूट की सुविधा उसी स्थिति में उपलब्ध होगी, जबकि व्यापारी इस प्रयोजन हेतु जारी पात्रता प्रमाण-पत्र धारण करता हो.

5. इस अधिसूचना के अधीन छूट की सुविधा केवल पात्रता प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट पात्रता कालावधि के दौरान उपरोक्त प्रयोजन के लिए उक्त मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के संबंध में उपलब्ध रहेगी.

6. अधिसूचना क्रमांक ए-3-25-2010-1-पांच (96), दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 उपाबंध-दो में अधिकथित पात्रता प्रमाण-पत्र मंजूर करने हेतु दी गई प्रक्रिया और अधिसूचना क्रमांक ए-3-25-2010-1-पांच (97), दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 के पैरा 6 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिसूचना के अधीन छूट के संबंध में लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2013

क्र. एफ-ए-3-47-2012-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-ए-3-47-2012-1-पांच (01), दिनांक 5 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 5th January 2013

No. F-A3-47-2012-1-V-(01).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby, exempts in whole from payment of entry tax under the said Act, the class of dealers specified in column (2) of the Table below, for the period specified in column (3), subject to the restrictions and condition specified in column (4) of the said Schedule, namely:—

TABLE

S. No.	Class of dealers	Period	Restriction and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Registered dealer who establishes an Electronics Hardware Manufaturing Unit inside the State of Madhya Pradesh under the provisions of Madhya Pradesh Informational Technology Investment Policy 2012.	For a period of five years from the date of first purchase of raw meterial.	(1) The exemption from payment of entry tax shall be available to the dealer when the goods specified in Schedule II appended to the Entry Tax Act, are entered into a local are by him for consumption or use as raw material or for use as incidental goods in the manufacture of goods or for use in the packing of goods manufactured in his industrial unit. (2) The goods entered by the dealer into a local area for the purpose specified in clause (1) above should be specified as raw material or incidental goods or paking material in his registration certificate under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

2. For the purpose of this notification,—

(i) "Registered Dealer" means a dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

(ii) "Incidental Goods" means the goods, other than raw material and packing meterial, referred to in clause (b) of sub-section (3) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) for use in the manufacture of goods.

3. An existing Electronics Hardware Manufacuring Unit which undergoes expansion/modernisation of their capacity will get above facility on their incremental production as "new unit" subject to certification by a designated agency. In order to qualify for this incentive the additional capital investment in expansion should be minimum 50 % of the existing capital investment subject to a minimum of Rs. 25 lac.

4. The facility of exemption under this notification shall be available only when the dealer holds as eligibility certificate for that purpose.

5. The facility of exemption under this notification shall be available in respect of the entry of the said goods into the local area for the aforesaid purposes only during the period of eligibility specified in the eligibility certificate.

6. the provisions of paragraph 6 and the procedure for grant of eligibility certificate laid down in Annexure-II, of the Notification No. A-3-25-2010-1-V (96), dated 13th December, 2010, and the Notification A-3-25-2010-1-V (97), dated 13th December, 2010 shall mutatis mutandis apply to the exemption under this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N.K. JAIN, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2013

क्र. एफ-ए-03-47-2012-1-पांच (02).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52, सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की अनुसूची-2 के भाग-दो के अनुक्रमांक 51 में यथाविनिर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुओं को 14 सितम्बर, 2012 से 13 सितम्बर 2017 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन संपूर्ण प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2013

क्र. एफ-ए-03-47-2012-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-47-2012-1-पांच (02), दिनांक 5 जनवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 5th January 2013

No. F-A-3-47-2012-1-V(02).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the Information Technology goods as specified in serial number 51 of Part II of Schedule II of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), from payment of whole of entry tax under the said Act, for the period from 14th September 2012 to 13th September 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. K. JAIN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.